अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–04 / 2011–12

केशिया देवी वगै0 बनाम लोलिन महतो

23/3/2012

प्रस्तुत अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद सं0–27 / 2008–09 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। जिसे अंगीकृत कर संबंधित पक्षों को नोटिस करते हुए वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि पतरातु अंचल अन्तर्गत मौजा सिउर, थाना पतरातु, खाता सं0–12, प्लॉट सं0–446, 448, 449 / 460, 145 / 453, रकवा क्रमशः – 0.46 ए0 मध्ये 0.07 ए0, 0.81 ए0 मध्ये 0.81 ए0, 0.54 ए0 मध्ये 0.54 ए0, 0.94 ए0 मध्ये 0.08 ए0, कुल रकवा–1.50 ए0 से संबंधित है। जिसके खतियानी रैयत भिखवा मुण्डा एवं भिखारी मुण्डा हैं, जिसकी वंशावली निम्नवत् है :–

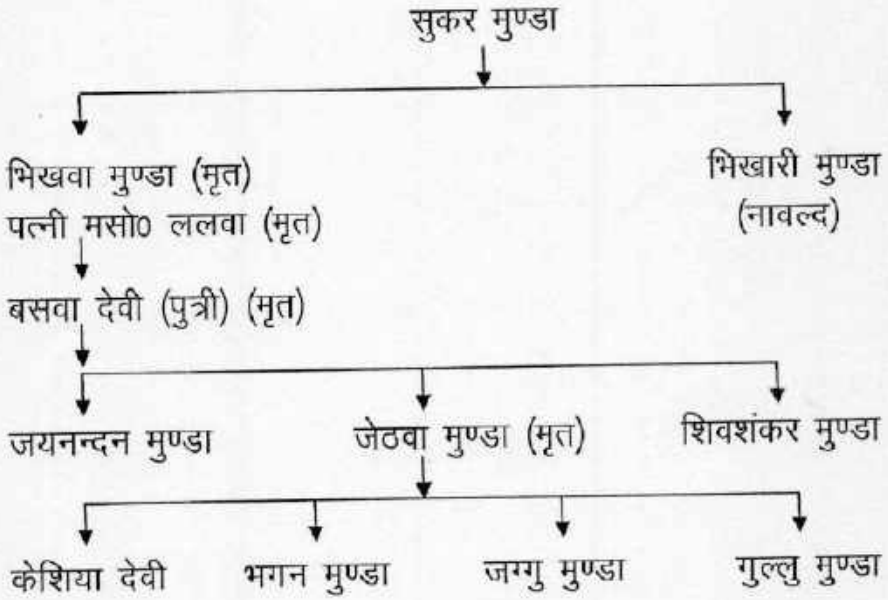

खतियानी रैयत भिखवा मुण्डा की पत्नी मसो0 ललवा के द्वारा अपनी पुत्री बसवा देवी को परमिशन वाद सं0–50 / 68–69 से सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त के उपरांत निबंधित दस्तावेज सं0–8749, दिनांक–15.11.1968 के माध्यम से प्रश्नगत् भूमि खाता सं0–12, प्लॉट सं0–446, 448, 449 / 460, 145 / 453, रकवा क्रमशः – 0.46 ए0 मध्ये 0.07 ए0, 0.81 ए0 मध्ये 0.81 ए0, 0.54 ए0 मध्ये 0.54 ए0, 0.94 ए0 मध्ये 0.08 ए0, कुल रकवा–1.50 ए0 का विक्रय किया गया है। जिसकी जमाबंदी पंजी–II के भौतुम–1 के पृष्ठ सं0–34 पर पर संधारित है। निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह माना गया है कि बसवा देवी की मृत्यु इकलौते पुत्र जेठुवा मुण्डा को छोड़कर हुई थी। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि बसवा देवी की मृत्यु तीन पुत्र जयनंदन मुण्डा, जेठुवा मुण्डा एवं शिवशंकर मुण्डा को छोड़कर हुई है, जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, पतरातु के पत्रांक–467, दिनांक–12.05.2009 के माध्यम से भी किया जा सकता है। अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि

विपक्षियों के द्वारा अपीलार्थी को 8–10 वर्षों से जमीन से बेदखल किया गया है। विपक्षी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि डीड सं0–902, दिनांक–17.04.1928 से प्रश्नगत् भूमि का खतियानी रैयतों के द्वारा इस्तीफा किया गया है एवं डीड सं0–903, दिनांक–17.04.1928 से पेमानाथ महतो एवं रामनाथ महतो को बंदोबस्त किया गया है। स्पष्ट है कि इस्तीफा एवं विक्रय एक ही दिन किया गया है, जो कानून की दृष्टिकोण से विधि–विरूद्ध है। विपक्षी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि भू–वापसी वाद सं0–27/87 एवं 21/89 में अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त वाद में विपक्षी को पक्षकार बनाया ही नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करने एवं C.N.T Act 1908 की धारा 46–4 (ए) के तहत् कार्रवाई करते हुए भू–वापसी का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत् भूमि ग्राम सिउर का खाता सं0–12 सर्वे खतियान में भिखारी मुण्डा एवं भिखुवा मुण्डा के नाम से दर्ज है। भिखारी मुण्डा नावल्द मरे। तत्पश्चात् भिखुवा मुण्डा खाता सं0–12 की सम्पूर्ण भूमि के स्वामी हुए। खतियानी रैयत भिखुवा मुण्डा ने ग्राम सिउर के खाता सं0–12, प्लॉट सं0–439, रकवा–84 1/2 डी0 भूमि, प्लॉट सं0–438, रकवा–36 1/2 डी0, प्लॉट सं0–440, रकवा–21 1/2 डी0, प्लॉट सं0–441, रकवा–02 डी0, प्लॉट सं0–443, रकवा–23 1/2 डी0, प्लॉट सं0–446, रकवा–23 डी0, प्लॉट सं0–448, रकवा–40 1/2 डी0 एवं प्लॉट सं0–449/460, रकवा–27 डी0, कुल 2.58 1/2 डी0 भूमि भूतपूर्व जमीन्दार को निबंधित इस्तीफानामा सं0–902, दिनांक–17.04.1928 के द्वारा इस्तीफा कर दिया। भूतपूर्व जमीन्दार ने उक्त इस्तीफा वाली जमीन को निबंधित बंदोबस्ती दस्तावेज सं0–903, दिनांक–17.04.1928 के द्वारा पेमनाथ महतो और रामनाथ महतो को बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्तधारी ने जमीन्दार को लगान देकर रसीद प्राप्त किया। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा उनके नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। बंदोबस्तधारी के मुक्ति के पश्चात् उनके नाम से सरकारी उत्तराधिकारीगण उक्त बंदोबस्त भूमि पर निर्विवाद रूप से दखलकार हुए। शंकर महतो, लाला महतो, पिता–पेमनाथ महतो एवं मोंगालाल महतो, हजारी महतो, पिता–गोमडेर महतो ने खाता सं0–12, प्लॉट सं0–438, 439, 440, 441, 443, 446, 448, 449/460, रकवा–1.29 1/4 डी0 भूमि श्रीमती किटकी, पति–मोगल महतो को निबंधित केवाला सं0–5896, दिनांक–08.06.1968 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग से परमिशन वाद सं0–85/86, दिनांक–27.05.1968 से अनुमति प्राप्त कर बिक्री कर दिया। बंदोबस्तधारी रामनाथ महतो के पोता झुबर महतो एवं बाबुराम महतो ने खाता सं0–12, प्लॉट सं0–438, 439, 440, 441, 443, 446, 448, 449/460, रकवा–1.29 1/4 डी0 भूमि मोहन महतो और मुटुक महतो, पिता–मोगल महतो को निबंधित केवाला सं0–740, दिनांक–02.02.1971 के द्वारा बिक्री कर दिया एवं क्रेता को भूमि पर दखलकार करा दिया। उक्त क्रेतागण ने उक्त 2.58 1/2 ए0 भूमि के दाखिल–खारीज हेतु अंचल

कार्यालय, पतरातु में आवेदन दिया, जो दाखिल–खारीज वाद सं0–69/71–72 द्वारा स्वीकृत होकर इनके नाम से रसीद निर्गत हुआ। द्वितीय पक्ष किटकी देवी के पोता एवं मोहन महतो के पुत्र हैं, जो अपने भाईयों एवं हिस्सेदारों के साथ खाता सं0–12 के रकवा–2.58 1/2 ए0 भूमि, जिसमें प्रश्नगत् भूमि भी शामिल है, दखलकार चले आ रहे हैं। इनका आगे कहना है कि भुगला मुण्डा ने ग्राम सिउर के खाता सं0–12, प्लॉट सं0–438, 439, 446 एवं 449/460, रकवा–3.42 ए0 भूमि के बावत श्री एस0बी0 सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर हजारीबाग के न्यायालय में द्वितीय पक्ष लोलिन महतो के विरूद्ध भू–वापसी का वाद दायर किया, जिसका वाद सं0–27/87 है। विद्वान कार्यपालक दण्डाधिकारी ने अंचल अधिकारी, पतरातु से जांच प्रतिवेदन की मांग की, अंचल अधिकारी, पतरातु ने अपने जांच प्रतिवेदन में बेदखली की अवधि 17 वर्ष प्रतिवेदित किया, जिसके आधार पर आवेदक का भू–वापसी आवेदन अस्वीकृत किया गया एवं अपने आदेश में अंकित किया कि बेदखली की अवधि 12 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत नहीं है एवं हस्तांतरण भी अवैध नहीं है। प्रथम पक्ष (केशिया देवी) की परदादी मो0 ललवा ने भी द्वितीय पक्ष के पिता मोहन महतो के विरूद्ध श्री टी0 प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर हजारीबाग के न्यायालय में ग्राम सिउर के खाता सं0–12, प्लॉट सं0–439, 440, 441, 443, 446, 448, रकवा–3.85 ए0 भूमि के बावत भू–वापसी का वाद दायर किया, जिसका वाद सं0–21/89 मो0 ललवा बनाम् मोहन महतो है। विद्वान कार्यपालक दण्डाधिकारी ने आवेदक के भू–वापसी के आवेदन को कालबाधित के आधार आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। द्वितीय पक्ष को खाता सं0–12, प्लॉट सं–446, रकवा–23 डी0, प्लॉट सं0–448, रकवा–40 1/2 डी0 और प्लॉट सं0–449, रकवा–27 डी0 से ही सरोकार है। द्वितीय पक्ष को प्लॉट सं0–453 से कोई सरोकार नहीं है। इनका आगे यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, पतरातु ने अपने जांच प्रतिवेदन पत्रांक–467, दिनांक–12.05.2009 के द्वारा न्यायालय में समर्पित किया। जबकि द्वितीय पक्ष की उपस्थिति की पहली तारीख 18.05.2009 है। द्वितीय पक्ष से किसी प्रकार का कोई कागजात प्रश्नगत् भूमि से संबंधित नहीं मांगा गया और न ही स्थल जांच की गई। अंचल अधिकारी, का जांच प्रतिवेदन आवेदक के मिलीभगत से समर्पित की गई है। आवेदक का भू–वापसी का कालबाधित एवं पूर्वनिर्णित (Resjudicata) से बाधित है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक के अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत् भूमि के संदर्भ में अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम सिउर के खाता सं0–12, खेसरा सं0–446, 448, 449 एवं 453, कुल रकवा–1.50 ए0 सर्वे खतियान में रैयती दर्ज है। आदिवासी इस रैयती आदिवासी भूमि का खतियानी रैयत के वंशज से प्रथम पक्ष केवाला द्वारा खरीद किये हैं। पंजी–II के पृष्ठ सं0–34/1 पर प्रथम पक्ष बसवा देवी का नाम दर्ज है, पूछताछ से पता चला कि बसवा देवी आवेदिका की मृत्यु हो चुकी है। इनसे तीन पुत्र हैं। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा है। अतः भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ ने अंचल अधिकारी, पतरातु से प्राप्त प्रवितेदन के आलोक में अपने आदेश फलक में अंकित किया है कि प्रश्नगत् भूमि के बावत पूर्व में भी भू–वापसी की कार्रवाई की गयी है, जिसमें कालबाधित के आधार पर वाद समाप्त किया जा चुका है। पुनः उसी भूमि पर भू–वापसी का वाद दायर किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह वाद कालबाधित एवं पूर्वनिर्णित (Resjudicata) से बाधित है। अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा आवेदक के भू–वापसी के आवदेन को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पतरातु/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज से प्रश्नगत् भूमि खरीदगी के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं, जबकि दूसरी ओर द्वितीय पक्ष प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत द्वारा जमीन्दार को इस्तीफा किये जाने एवं इस्तीफा पश्चात् निबंधित दस्तावेज से प्राप्त होने के आधार पर दावा करते हैं। प्रश्नगत् भूमि के संबंध में पूर्व में भू–वापसी वाद सं0–27/87 एवं वाद सं0–21/89 में भू–वापसी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। जिसके आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा विषयगत् वाद सं0–27/08–09 को कालबाधित एवं पूर्वनिर्णित (Resjudicata) मानते हुए, भू–वापसी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा लगभग 20 वर्षों के बाद पुनः प्रश्नगत् भूमि के लिए भू–वापसी अपील आवेदन दायर किया गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कागजातों आदि के अनुशीलन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4 (ए) के प्रावधानों के तहत् विधि–सम्मत् आदेश पारित किया गया। जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

28/3/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

28/3/2022

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.04.12 12:50:17 +05:30
Location: 192.168.0.16